

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

श्री गोपाल सिंह पिता नन्दसिंह
नि-उंखलिया हाल झान्तल तहसील
सिंगोली जिला नीमच

बनाम कैलाश कंवर पुत्री चतर कंवर
नि-उंखलिया

मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा -212 आर0टि0ए0	प्रकरण संख्या-09/20	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी

15.01.18

बाद जांच प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जो दर्ज रजिस्टर किया जावें।
विपक्षीयण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर मिशाल दिनांक 29.01.2018
को पेश करें।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा

29/1/18

पत्राव. पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
आज 0. 11. 18 को पेश किया जावे।
पधार. से पत्रावली हेतु
दिनांक 26/2/18 को पेश करें।

सत्यमेव जयते
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

26/2/2018

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है।
चुकि: इस प्रकरण से संबंधित मूल वाद को विझो कर
लिये जाने से इस प्रकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता
है। तदनुसार इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर
बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर
दा.डाल दफततर करे। आदेश आज दिनांक 26/2/2018
को डाली अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

